15

4. अतएव डॉ० बिनय कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) सदर अस्पताल, सुपौल विरूद्ध दिनांक–14.09.2020 से 31.01.2021 तक अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) के अधीन असंचयात्मक प्रभाव से 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक एवं अनुपस्थित अवधि में काम नहीं तो वेतन नहीं के साथ–साथ इस अवधि की गणना किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ०–08–07/2026(स्वा0) ...../ पटना, दिनांकः–.....

Email

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–08–07/2026(स्वा0) 1589(9B) **/पटना, दिनांकः–** 22.10.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा/सिविल सर्जन, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० बिनय कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) सदर अस्पताल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/10/2026

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ०–08–07 / 2026(स्वा0) ..... /पटना, दिनांकः–.....

डॉ० बिनय कुमार (**कोटि क्र०–S50/2025 एवं सेवानिवृत्ति की तिथि–31.08.2037**), विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) सदर अस्पताल, सुपौल के विरूद्ध बिना अवकाश स्वीकृत कराये दिनांक 12.09.2018 से 19.05.2019 एवं दिनांक–14.09.2020 से 31.01.2021 तक कर्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अवकाश अस्वीकृत करने की सूचना देने के बावजूद कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होने के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं0–641(9) दिनांक–19.06.2026 द्वारा आरोप–पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गयी।

2. डॉ० कुमार द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित कर अवगत कराया गया है कि दिनांक–11.09.2018 को कर्त्तव्य का निर्वहन कर घर आने पर उनके आवाज में समस्या होने लगी। स्थानीय चिकित्सक से उपचार कराने पर पता चला कि वे Pharyngitis With Vocal cord Nodule रोग से ग्रसित है, जिसकी सूचना मौखिक रूप से उनके द्वारा कार्यालय को दी गयी। स्वस्थ होने के उपरान्त दिनांक–20.05.2019 को सिविल सर्जन, सुपौल के समक्ष योगदान दिया गया। सिविल सर्जन, सुपौल के पत्रांक–903 दिनांक–21.05.2019 द्वारा डा० कुमार का योगदान स्वीकार करते हुए रोस्टर के अनुसार कार्य करने का आदेश दिया गया एवं वे नियमित रूप से कार्य करने लगे। वे अपने पिता जी का बेहतर ईलाज हेतु बाहर ले जाने के लिए दिनांक–14.09.2020 एवं 15,09.2020 का आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन दिये। उनके द्वारा अवकाश विस्तार करने हेतु दिनांक 16.09.2020 एवं 25.09.2020 को आवेदन समर्पित किया गया, जिसे सिविल सर्जन, सुपौल के पत्रांक–1490 दिनांक–29.09.2020 द्वारा अवकाश वृद्धि के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए कर्त्तव्य पर लौटने का आदेश दिया गया। उनके पिताजी का स्वास्थ्य सुधार होने के उपरान्त वे दिनांक–01.02.2021 को कर्तव्य पर उपस्थित हुए। सिविल सर्जन, सुपौल के पत्रांक–292 दिनांक–01.02.2021 द्वारा पदस्थापित स्थान पर कार्य करने का आदेश दिया गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० कुमार के बचाव अभिकथन के साथ प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि उनके द्वारा स्वयं के बीमारी Pharyngitis With Vocal Cord Nodule का ईलाज स्थानीय चिकित्सक एवं नई दिल्ली में कराया गया है। चिकित्सीय पूर्जा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि डॉ० कुमार के पिताजी का ईलाज सुपौल एवं दरभंगा में हुआ है, जो दोनों जिला एक–दूसरे के नजदीक ही है। अतः डॉ० कुमार दिनांक–14.09.2020 से 31.01.2021 तक पिताजी के अस्वस्थता का हवाला देकर अपने कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहे है। फलतः डॉ० कुमार के विरूद्ध दिनांक–14.09.2020 से 31.01.2021 तक अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) के अधीन असंचयात्मक प्रभाव से 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने एवं अनुपस्थित अवधि को काम नहीं तो वेतन नहीं के साथ–साथ इस अवधि की गणना किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं करने का विनिश्चय किया गया।

22/10/26